196 36 सीपीएसई में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत सतर्कता अधिकारियों को या तो संबंधित सीपीएसई के वेतनमान में अथवा मूल संवर्ग और उसपर प्रतिनियुक्ति (कार्य) भत्ता तथा वैयक्तिक वेतन, यदि कोई है, में वेतन आहरित करने का विकल्प देने के संबंध में मंत्रिमंडल का निर्णय

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.10.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 372/21/2009–ए वीडी–III का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त दिनांक 12.10.2010 के डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन के पैरा '3' के अंतर्गत डीपीई के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन (अनुबंध IV, बिंदु संख्या iv देखें) को यहां (डीओपीटी के दिनांक 12.10.2010 के कार्यालय ज्ञापन में) उल्लिखित सीमा के भीतर संशोधित (मंत्रिमंडल के अनुमोदन से) कर दिया गया है।

2. इस संदर्भ में डीपीई के दिनांक 08.06.2009 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो विसंगति समिति की सिफारिशों पर आधारित है। उपर्युक्त पैरा '1' में स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिनांक 08.06.2009 के कार्यालय ज्ञापन को भी उपर्युक्त पैरा '1' में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार संशोधित किया जाता है।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि डीओपीटी के दिनांक 12.10.2010 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित डीपीई के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए सीपीएसई के सतर्कता विभाग में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत सीवीओ और अन्य अधिकारियों के संदर्भ में उपर्युक्त प्रावधानों के लागू होने की तारीख 01.01.2007 होगी। तथापि डीपीई के दिनांक 26.11.2008 और 08.06.2009 के कार्यालय ज्ञापनों में निहित प्रावधान ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में उपयुक्त और लागू होंगे, जो सीपीएसई के सतर्कता विभाग में प्रतिनियुक्ति आधार पर सीवीओ अथवा अन्य अधिकारियों से इतर अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आते हैं।

अनुबंध – **VI**

भारत सरकार

मंत्रालय का नाम.....

.....

विभाग का नाम .....

.....

सेवा में

विषयः श्री/श्रीमती/कुमारी..... की .....के रूप में नियुक्ति संबंधी निबंधन और शर्तें

महोदय/महोदया,

मुझे निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के आधार पर श्री/श्रीमती/कुमारी..... ...की .....में .....के रूप में ....

नियुक्ति के लिए माननीय राष्ट्रपति जी की मंजूरी सूचित करने का निदेश हुआ है :

1.1 अवधिः उनकी नियुक्ति की अवधि .....(नियुक्ति की तारीख) से पांच वर्ष अथवा अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगला आदेश होने, जो भी पहले हो तक होगी

1.2 मुख्यालय : उसका मुख्यालय .....मे होगा, जहां सीपीएसई का पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय अवस्थित है। वह सीपीएसई के विवेकाधिकार पर देश के किसी भी भाग में सेवाएं देने के लिए जबावदेह होगा/होगी।

1.3 वेतन : .....के रूप में .....रुपए के वेतनमान में ....कार्यालय भार संभालने की तारीख से .....रुपए प्रतिमाह का मूल वेतन आहरित करेंगे/करेंगी।

1.4 नियुक्ति भत्ता : वह किसी भी नियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा।

1.5 महंगाई भत्ता : उसे केंद्रीय सरकार की दर के अनुसार महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

1.6 मकान किराया भत्ते का भुगतानः अगर सीपीएसई अपने आवासीय क्वार्टरों के अभाव में आवासीय घरों की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं है या वह लीज आधार पर हो या उसने किराये पर एक मकान लिया हुआ हो, तो उसे केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार मकान किराया भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

1.7 वार्षिक वेतन वृद्धि : वे एआईएस के नियमों के अनुसार अपना वेतन वृद्धि आहरित करने के पात्र होंगे। इनके वेतन वृद्धि की अगली तारीख उस वर्ष की 1 जुलाई होगी।

1.8 आवासीय घर और इस प्रकार दिए गए घर के लिए किराए की वसूली

1.8.1 कंपनी का अपना आवास : जहां कहीं भी सीपीएसई ने औद्योगिक टाउनशिप में आवासीय फ्लैटों का निर्माण किया है, अथवा शहरों में आवासीय फ्लैट खरीदे हैं, वहां सीपीएसई द्वारा उसे उपयुक्त आवासीय घर उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी।

1.8.2 पट्टा युक्त आवास: यदि कोई सीपीएसई या तो टाउनशिप में निर्मित अथवा मुख्यालय में आवासीय फ्लैट या खरीदे गए फ्लैटों में से आवासीय घर उपलब्ध नहीं कराता है, तो ऐसी स्थिति में सीपीएसई कंपनी के मुख्यालय में पट्टा आधार पर परिसर लेकर उपयुक्त आवास उपलब्ध करा सकता है। सीपीएसई का निदेशक मंडल डीपीई के दिनांक 05.06.2003, 26.11.2008 और 02.04. 2009 के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार इस प्रकार दिए जाने वाले आवासों के आकार, प्रकार और मुहल्ला का भी निर्धारण करे। सीटीसी के प्रयोजन से मूल वेतन के 30% को आवास व्यवस्था पर व्यय के रूप में माना जाए।

1.8.3 सेल्फ–लीज: यदि उसके पास तैनाती के स्थल (मुख्यालय) में अपना स्वयं का मकान है और वह अपने आवासीय प्रयोजनों के लिए स्वयं पट्टा आधार पर अपना स्वयं का घर लेना चाहता/चाहती है, तो सीपीएसई उसे ऐसा करने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि वह सीपीएसई के पक्ष में पट्टा–विलेख निष्पादित करे। निदेशक मंडल ऐसे आवास के आकार, प्रकार और मुहल्ले का निर्धारण करे।

1.8.4 पट्टे पर लिए गए आवास का सुधार कार्य/रखरखाव : पट्टा युक्त आवासों के अपेक्षित सुधार कार्य और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित पट्टेदार की है। पट्टा किराया एक वर्ष में केवल 12 माह के लिए ही देने की अनुमति होगी और पट्टा युक्त आवास के सुधार कार्य/रखरखाव के मद पर कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

1.8.5 मौजूदा पट्टा–विलेख : अपने लिए पट्टा आधार पर लिए गए आवास के संदर्भ में सीपीएसई द्वारा हस्ताक्षरित पट्टा करार, यदि कोई है, 26.11.2008 के पहले किया जाता है, तो उसे पट्टा अवधि की बकाया अवधि के दौरान पुनः नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पट्टे की धनराशि को तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक कि पट्टा अवधि समाप्त नहीं हो जाती है। यह प्रावधान यहां तक कि उस सूरत में भी लागू होगा कि उसे स्वयं पट्टा आधार पर अपना घर लेने के लिए अनुमति दी गई थी।

1.8.6 कार्यालय के लिए स्थानः सीपीएसई के खर्चे पर उसके आवास पर सीपीएसई द्वारा कार्यालय के लिए कोई भी स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

1.9 किराया वसूली

1.9.1 सीपीएसई की टाउनशिप/उसके अपने फ्लैट : कंपनी द्वारा अपनी टाउनशिप में अथवा शहरों या कस्बों में इसके द्वारा खरीदे गए फ्लैटों के पूल में से की गई व्यवस्था और उसे इस प्रकार आवंटित किए गए आवास के लिए किराए की वसूली .....(ज्वाइन करने की तारीख) से मूल वेतन के 10% की दर अथवा कंपनी द्वारा यथा निर्धारित मानक दर, जो भी कम है, से की जाएगी। जहां सीपीएसई ने आवास के प्रकार के आधार पर अपनी टाउनशिप में आवासों के संदर्भ में वसूली की दरें निर्धारित की हैं अर्थात प्रत्येक प्रकार के आवास के लिए समान आधार पर किराए की वसूली का प्रावधान किया है, तो उसे सीपीएसई द्वारा विहित किराए का भुगतान करना होगा।

1.9.2 पट्टायुक्त आवास : सीपीएसई द्वारा व्यवस्थित पट्टायुक्त आवास के संदर्भ में ..... .(ज्वाइनिंग की तारीख) से संशोधित मूल वेतन के 10% की दर अथवा वास्तविक किराया, जो भी कम है, से उससे किराया वसूल किया जाएगा।

1.10 यात्रा भत्ता : उसे उसके अपने कैडर की पात्रता के अनुसार निजी इस्तेमाल के लिए स्टाफ कार की सुविधा होगी।:

1.11 छुट्टी : उसकी छुट्टियां अखिल भारतीय सेवाओं के छुट्टी अधिनियम, जो समय–समय पर संशोधित होते रहते हैं, के अनुसार होंगी। सीपीएसई समय–समय पर केंद्रीय सरकार के द्वारा विहित दरों के अनुसार छुट्टी योगदान के लिए भुगतान करेगी। छुट्टी की अवधि के लिए क्षतिपूरक भत्तों तथा सीपीएसई के विदेशी सेवा प्रतिनियोजन के लिए किए गए व्यय सीपीएसई द्वारा किए जाएंगे। सीपीएसई उन छुट्टी रकम के लिए भी उत्तरदायी होगी जो उनको किसी अयोग्यता के लिए अयोग्यता की छुट्टी स्वीकृत की जाती है तथा जो पीएसई के अधीन विदेशी सेवाओं के द्वारा प्राप्त होती है चाहे ऐसी अयोग्यता सीपीएसई के अधीन सेवाओं के समापन के उपरांत होती हो।

1.12 पेंशन : वह एआईएस (डीसीआरजी) नियमों के प्रावधान के अनुसार शासित होता रहेगा। वह कोई अंशदायी भविष्यनिधि या सीपीएसई के किसी पेंशन योजना में योगदान नहीं करेगा। सीपीएसई केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित दरों पर अपनी विदेशी सेवाओं के दौरान पेंशन योगदान का भुगतान करेगा।

1.13 भविष्यनिधि : विदेशी सेवाओं की अवधि के दौरान, वह अखिल भारतीय सेवा (भविष्यनिधि) नियम 1955 में शामिल शर्तों के अनुसार अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि में अनुदान देना जारी रखेगा।

1.14 मेडिकल छूटः सीपीएसई उनलोगों को मेडिकल सुविधा प्रदान करेगी जो अखिल भारतीय सेवा (मेडिकल अटेंडेंस) नियम 1954 के अंतर्गत नहीं आते हैं।

1.15 छुट्टी यात्रा रियायत : उसे पीएसई नियमों के अंतर्गत उसकी स्थिति के अनुसार कार्यपालकों को ग्राह्य छुट्टी यात्रा रियायत देय नहीं होगा। वह केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय छुट्टी यात्रा रियायत भत्ता के याग्य होगा तथा सारा खर्च पीएसई के द्वारा वहन किया जाएगा। लेकिन इसके साथ यह

शर्त है कि ये कार्यपालक पहले से प्रतिनियोजन की अवधि के दौरान ब्लॉक वर्ष में यह छूट प्राप्त नहीं किए हुए हों। यह छूट किसी भी समय अखिल भारतीय सेवा (एलटीसी) नियम 1973 के अधीन प्राप्त किए गए छूट से कम नहीं होगा।

1.16 समूह बीमा योजना : केंद्रीय सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना, 1980 जो एआईएस (समूह बीमा योजना) नियम 1981 में सम्मिलित है उनपर लागू होगा। उनके वेतन से काटी हुई रकम बीमा योजना के अनुसार सब्सक्रिप्शन के विहित दर के अनुसार भारत सरकार को भुगतान की जाएगी।

1.17 ज्वाइनिंग समय तथा यात्रा भत्ता : वह सीपीएसई के नियम के अधीन विदेश सेवा में पद प्राप्त करने तथा वहां से हटने दोनों के समय यात्रा भत्ता तथा ज्वाइनिंग समय के हकदार होंगे लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह केंद्र सरकार के ग्रेड तथा उनके समतुल्य रूतबे वाले से कम नहीं होगा। इस परिस्थिति में इस मद में सीपीएसई के द्वारा व्यय उठाया जाएगा।

1.18. कंडक्ट अनुशासन तथा अपील नियम : वह अखिल भारतीय सेवा (कंडक्ट, अनुशासन तथा अपील) नियम के द्वारा शासित होगा।

1.19 शेष मामले: सेवा तथा लाभों/सुविधाओं तथा उधारी संगठन में पुरस्कार जो (1.1) से (1.19) मद के अधीन नहीं आते, वह उनके पूर्ववर्ती कैडर के वर्तमान नियमों, शर्तों, आदेशों के अनुसार शासित होगा।

1.20 अन्य शर्तें : पुरस्कार तथा भत्ते जो अखिल भारतीय सेवा नियमों के अधीन हैं, उनपर लागू होंगे। कोई अन्य मद और भत्ते/पीआरपी लाभ सीपीएसई के नियमों के अनुसार प्रदान नहीं किए जाएंगे।

(डीपीई का.ज्ञा. सं. 2 (27)/10.–डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल–**XXIV**/2010, दिनांक 03 दिसंबर, 2010)

*****